कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर।

पत्रांकः मान्यता/29816-21 /2020–21 दिनांकः 23-03-2021

प्रबन्धक,
क्यू0ई0सी0 स्कूल ,
उसीयां, विकास खण्ड– भदौरा,
गाजीपुर।

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31.12.2019 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं **क्यू0ई0सी0 स्कूल, उसीयां, विकास खण्ड– भदौरा, गाजीपुर** को तारीख 23.03.2021 से तारीख 22.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए **कक्षा 06 (छः) से कक्षा 08 (आठ) तक (अंग्रेजी माध्यम)** के लिए शासनादेश संख्या–196/अड़सठ–3–2020–2041 /2018 दिनांक 29.06.2020 तथा शासनादेश संख्या–89/अड़सठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 11.01.2019 में निहित प्राविधानानुसार अस्थायी मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध–2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

   (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

   (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

   (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड–परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

   (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

   (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

   (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

   (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

Manager
Q.E.C. School
Usia-Ghazipur

Scanned with OKEN Scanner

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	– 0.2300 हे0।
कुल निर्मित क्षेत्र	– 2500 वर्ग फीट।
क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल	– उपलब्ध
कक्षाओं की संख्या	– आठ (08)
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भाड़ागार के लिए कक्ष	– दो (2)
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	– उपलब्ध
पेयजल सुविधा	– उपलब्ध
मिड–डे–मिल पकाने के लिए रसोई	– उपलब्ध
बाधारहित पहुँच	– उपलब्ध
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरडो/पुस्तकालय की उपलब्धता	– उपलब्ध

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता हैं।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या **06-08 (E) 611/2020** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

भवदीय

(श्रवण कुमार गुप्ता)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।

पृष्ठांकन संख्या मान्यता/ /2020–21 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
3– सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4– वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, गाजीपुर।
5– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर।
6– कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।

Manager
Q.E.C. School
Usia-Ghazipur

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर।

पत्रांकः मान्यता/21936-41/2020–21 दिनांकः 23-03-2021

प्रबन्धक,
क्यू0 ई0 सी0 स्कूल ,
उसियां, विकास खण्ड– भदौरा,
गाजीपुर।

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 25.11.2019 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं **क्यू0 ई0 सी0 स्कूल, उसियां, विकास खण्ड– उसियां, गाजीपुर** को तारीख 23.03.2021 से तारीख 22.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए **कक्षा 01 (एक) से कक्षा 05 (पांच)** तक **(अंग्रेजी माध्यम)** के लिए शासनादेश संख्या–196/ अड़सठ–3–2020–2041 /2018 दिनांक 29.06.2020 तथा शासनादेश संख्या–89/अड़सठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 11.01.2019 में निहित प्राविधानानुसार अस्थायी मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध–2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा मे) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः

   (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

   (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

   (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड–परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

   (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

   (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

   (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

   (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

Manager
Q.E.C. School
Usia-Ghazipur

Scanned with OKEN Scanner

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	– 18500 वर्ग फीट।
कुल निर्मित क्षेत्र	– 10000 वर्ग फीट।
क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल	– उपलब्ध
कक्षाओं की संख्या	– आठ (08)
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भाड़ागार के लिए कक्ष	– दो (2)
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	– उपलब्ध
पेयजल सुविधा	– उपलब्ध
मिड–डे–मिल पकाने के लिए रसोई	– उपलब्ध
बाधारहित पहुँच	– उपलब्ध
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरड़ो/पुस्तकालय की उपलब्धता	– उपलब्ध

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता हैं।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या **01-05 (E) 631/2020** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

भवदीय

(श्रवण कुमार गुप्ता)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।

पृष्ठांकन संख्या मान्यता/ /2020–21 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
3– सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4– वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, गाजीपुर।
5– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर।
6– कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।

Manager
Q.E.C. School
Usia-Ghazipur

Scanned with OKEN Scanner

Form No. ...

Office of the District Basic Education Officer

GHAZIPUR

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **Q E C SCHOOL,USIYA BHADAURA GHAZIPUR** is permanently recognized for Primary (class 1 to 5) The Recognition number alloted to Q E C SCHOOL is **01-05(E)631/2020.** The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed

2. DATE OF ISSUE	01-08-2022 (DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	Old
4. School Type	Pre-Primary School and Primary School
5. Recognition No.	01-05(E)631/2020

District Basic Education Officer

DATE:- 01-08-2022

PLACE:- GHAZIPUR

Manager
Q.E.C. School
Usia-Ghazipur

06/10/22

Principal
Q.E.C.School
Usia-Ghazipur

Note: This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.upefrmsp.in

Scanned with OKEN Scanner

Form No 2602

Office of the District Basic Education Officer

GHAZIPUR

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that Q E C SCHOOL,USIYA BHADAURA GHAZIPUR is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number alloted to Q E C SCHOOL is 06-08(E)611/2020.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	24-09-2022(DD MM/YYYY)
3. Recognition Type	Old
4.School Type	Upper Primary School(6 to 8)
5.Recognition No.	06-08(E)611/2020

DATE:- 24-09-2022

PLACE:- GHAZIPUR

District Basic Education Officer

Signature valid

Date: 2022.09.24

Reason: For Digital Signature

Location: GHAZIPUR

Manager
Q.E.C. School
Usia-Ghazipur

06/10/22

Principal
Q.E.C.School
Usia-Ghazipur

Note: [illegible]